न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर०ए०एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 26/2017
1–मायादेवी पत्नि जगनलाल जाति ब्राहमण निवासी कामां
2–लच्छो पत्नि भगवानसिंह
3–पीतो 4–मुनेश 5–मीना 6 लक्ष्मी पुत्रीयान गज्जो
7–राजो पत्नि गज्जो
8–लेखराज पुत्र गज्जो जाति गूर्जर निवासी कामा तहसील कामा

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 17.8.2022

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 6039 मिन नम्बर व हाल खसरा नम्बर 2058/0.80, 2059/0.25, 2060/0.01 हैक्टर वाके कस्बा कामां नं0 3 में स्थित है । जिन नम्बरान को कायम कर अलग अलग नम्बर दर्शाये हुए विभाजन मौके पर किया गया और मुताबिक अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । बन्दोवस्त विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बर 6039 मिन के जब नये खसरा नम्बर कायम किये गये जिसमे प्रार्थीगण के नये खसरा नम्बर 2058/0.80 व 2060/0.01कायम कर मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया जो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना मौके की जांच कर खिलाफ कानून व मौका प्रार्थीगण के नये खसरा नम्बर 2058, 2060 के रकवा नये नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड मे सही दर्ज नहींकिया जबकि प्रार्थीगण का पूर्व से ही खसरा नम्बर 2058/0.80 की जगह रकवा खसरा नम्बर 2058/072 है जिस पर प्रार्थी गण का मौके पर कब्जा है और खसरा नम्बर 2060/0.01 की जगह रकवा खसा नम्बर 2060/0.08है जिस पर प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है । तथा मुताबिक मौका कब्जा के अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग में लेते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किये गये रकवे से प्रार्थी गण को सख्त हक तलफी हो रही है । इसलिए प्रार्थीगण को मौका कब्जा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज किये गये रकवा को शुद्धि किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को नोटिस दर्ज किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार कामां ने जबाव पेश किया है कि प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर साबिक 6039 मिन नम्बर व हाल खसरा नम्बर 2058/0.80, 2059/0.25, 2060/0.01 हैक्टर वाके कस्बा कामा नं0 3 बताये गये है । तथा हाल खसरा नम्बर 2058/0.80 पर लेखराज पुत्र गज्जो पीतो, मुनेश, मीना, राज्जो, लक्ष्मी पुत्रीयान गज्जो बहिस्सा बराबर 24/35हि0 लक्ष्मी देवी पत्नि भगवानसिंह हि0 3/14 जाति गूजर सा0 कस्बा कामां व माया देवी पत्नि जगनलाल जाति ब्राहमण 1/10 हिस्सा साकिन कामां खातेदार दर्ज रिकार्ड है । खसरा नम्बर 2059/0.25 किस्म गै0मु0 नहर मय कबूजा महकमा सिंचाई विभाग कामा दर्ज रिकार्ड है ।खसरा नम्बर 2060/0.01 किस्म गै0मु0 आबादी खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड है । खसरा नम्बर 2058/0.80, 2060/0.01 के मध्य 2059/0.25 किस्म गै.मु. नहर स्थित है । बन्दोबस्त विभाग के द्वारा आ0ख0नं0 2058 रकवा 0.80 गै.मु.नहर पश्चिम दिशा में तथा आ0ख0नं0 2060/0.01 पूर्व दिशा मे दर्शाया गया है । जबकि मौका व नक्शा का मिलान करने पर पाया गया है कि आ0ख0नं0 2058/0.80

का रकवा 0.73 होना चाहिये जिसमें 0.72 हैक्ट पर लेखराज पुत्र गज्जो पीतो , मुनेश, मीना, रज्जो, लक्ष्मी पुत्रीयान गज्जो राजो पत्नि गज्जो जाति गूजर वहिस्सा बराबर 24/35, मायादेवी पत्नि जगनलाल हिस्सा 1/10 जाति ब्राहमण लच्छोदेवी पत्नि भगवानसिंह जाति गूजर हि0 3/14 सा0 कामां खातेदार व 0.01 हैक्टर पर गै0मु0 आबादी होनी चाहिये । तथा आख़न0 2060 रकवा 0.01 का रकवा पर गै0मु0 0.08हैक्टर होना चाहिये । जिसके खातेदार लेखराज पुत्र गज्जो पीतो , मुनेश, मीना, रज्जो, लक्ष्मी पुत्रीयान गज्जो राजो पत्नि गज्जो जाति गूजर बहिब 24/35 व माया देवी पत्नि जगनलाल जाति ब्राहमण हि0 1/10 साकिन करबा कामां लच्छोदेवी पत्नि भगवानसिंह जाति गूजर हि0 3/14 होना चाहिये । नामा0 संख्या 121 की पुष्ट पर बना नक्शा से यह प्रतीत होता है । कि कनवर्जन शुदा रकवा 0.01 हैक्टर गै0मु0 आबादी साबिक खसरा नम्बर 6039/1.06 हैक्टर में गै0मु0 नहर के पश्चित दिशा में एवं दक्षिण मेड पर कनवर्जन हुआ है । जबकि नवीन नक्शा में कनवर्जन शुदा रकवा गु.मु.नहर के पूर्व दिशा में दर्शाया गया है । आराजी खसरा नम्बर 2060/0.01 में किसी प्रकार को आबादी मौके पर नहीं है तथा गै0मु0 नहर में पश्चिम दिशा में स्थित 2058 रकवा 0.73 हैक्टर में आबादी बसी हुयी है ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सं0 2074 – 77 नक्शा ट्रेस ,बन्दोबस्त नकल बन्दोबस्त मिलान क्षेत्रफल, नकल बन्दोबस्त , संलग्न किया है ।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कामां ने पत्रांक/मू0अ0/2022/1729 दिनांक 27.07.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की । जिसे मौके व कब्जे के अनुसार नक्शा में शुद्धि किया जाना आवश्यक होगा ।

अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाने योग्य है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र भू.राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 136 को मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कामां के आ.ख0नं0 2058 /0.80 की जगह 072 तथा खसरा नम्बर 2060/0.01 के स्थान पर 0.08 शुद्ध किया जाता है । तहसीलदार कामां को शुद्धि के आदेश जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम किया जावे । बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)